दिनांक:24.09.2015 को संपन्न कार्यालय की "विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति" की 25 वीं तिमाही बैठक के कार्यवृत

क्षेत्रीय कार्यालय,कर्मचारी राज्य बीमा निगम,देहरादून की दिनांक: 31.06.2015 को समाप्त तिमाही की **"विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति"**की 25 वीं बैठक दिनांक: 24.**092015** को श्री अमरजीत सिंह,क्षेत्रीय निदेशक की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक के आयोजन के संबंध में दिनांक: 03.09.2015 को परिपत्र जारी कर सूचित किया गया था.

बैठक में अधिकारीयों / सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार रही:-

1. श्री अमर जीत सिंह, क्षेत्रीय निदेशक – अध्यक्ष
2. डॉ. नरेश कुमार अरोड़ा, वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त – सदस्य
3. श्री प्रियरंजन सिन्हा, उप निदेशक(प्रशा.) – सदस्य सचिव
4. श्री संजय कुमार, उप निदेशक – सदस्य
5. श्री विजय कुमार, उप निदेशक(वित्त) – सदस्य(अनुपस्थित)
6. डॉ. दीपशिखा शर्मा, चिकित्सा निर्देशी – सदस्य(अनुपस्थित)
7. डॉ. तनूजा नबियल, चिकित्सा सतर्कता अधिकारी – सदस्य(अनुपस्थित)
8. श्री काशी प्रसाद पाण्डेय , उप निदेशक – सदस्य(अनुपस्थित)
9. श्री अनुज कुमार ऋषि, उप निदेशक(तदर्थ) – सदस्य(अनुपस्थित)
10. श्री शैलेन्द्र सिंह रावत,सहायक निदेशक – सदस्य
11. श्री विजय कुमार अरोड़ा, कार्यालय अधीक्षक – सदस्य(अनुपस्थित)
12. श्री मणिराम आर्या, कार्यालय अधीक्षक – सदस्य
13. श्रीमती इंद्रा दानू ,कार्यालय अधीक्षक – सदस्य
14. श्री वीरेंद्र राणा, कार्यालय अधीक्षक – सदस्य
15. श्री राजेश कुकरेती, कार्यालय अधीक्षक – सदस्य(अनुपस्थित)
16. श्री मणिराम आर्या, कार्यालय अधीक्षक – सदस्य(अनुपस्थित)
17. श्री दीपक कुमार वर्मा, कार्यालय अधीक्षक, – सदस्य
18. श्री ललित मोहन शर्मा, कार्यालय अधीक्षक – सदस्य
19. श्री पीयूष जोशी, कार्यालय अधीक्षक – सदस्य
20. श्री भैरव सत्यवली, शाखा प्रबंधक – सदस्य
21. श्री संजीव कुमार,शाखा प्रबंधक सेलाकुई – सदस्य(अनुपस्थित)
22. श्री मुंशीराम कन्नौजिया, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी – सदस्य(अनुपस्थित)

बैठक में श्री महेश चन्द्र खरे, निजी सचिव एंव श्री रविन्द्र कुमार,वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक भी उपस्थित थे।

सर्वप्रथम सदस्य सचिव ने अध्यक्ष महोदय तथा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्यसूची के अनुसार बैठक विधिवत रूप से शुरू हुई:-

1. पिछली बैठक के कार्यवृत की पुष्टि तथा लिए गए निर्णयों पर कार्रवाई:-

सदस्य सचिव ने बताया कि दिनांक 26.05.2015 को आयोजित पिछली बैठक के कार्यवृत समसंख्यक पत्रांक दिनांक: 02.06.2015 द्वारा सभी संबंधितों को प्रेषित कर दिए गए है. कार्यवृत पर किसी भी सदस्य अथवा शाखा /शाखा कार्यालय से कोई सुझाव / प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए यदि सहमत हो तो कार्यवृत की पुष्टि की जा सकती है.

सभी उपस्थित सदस्यों ने सर्वसम्मति से कार्यवृत की पुष्टि की.

2. गत तिमाही की प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा।

इस मद पर चर्चा के दौरान सदस्य सचिव ने बताया कि गत तिमाही के दौरान 'क" क्षेत्र से अंग्रेजी में प्राप्त 898 में से 217 का

जवाब हिंदी में 163 का उत्तर अंग्रेजी में दिया गया जबकि शेष पत्रों(518) का जवाब दिया जाना अपेक्षित नहीं था. इस दौरान "ख" क्षेत्र से अंग्रेजी में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ.

साथ ही इस दौरान "क" क्षेत्र को 509 पत्र हिंदी तथा 279 पत्र अंग्रेजी में भेजे गए । इस दौरान "ख" तथा "ग" क्षेत्र को कोई पत्र नहीं भेजा गया.

गत तिमाही के दौरान कुल- 2942 टिप्पणियाँ लिखी गयी जिसमे 2549 हिंदी तथा 393 अंग्रेजी में लिखी गयी.

सदस्य सचिव ने सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि मासिक प्रगति रिपोर्ट में टिप्पणियों के संबंध में सूचना सावधानीपूर्वक भरें क्योंकि अक्सर शाखाधिकारी द्वारा की गयी टिप्पणियों का प्रतिशत गलत दर्शाया जाता है. साथ ही हिंदी में किए गए कार्य का प्रतिशत भले ही निर्धारित लक्ष्य से कम है परन्तु वास्तविक आंकड़े दिए जाएं.

3. राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन।

इस मद पर चर्चा के दौरान सदस्य सचिव ने बताया कि गत तिमाही के दौरान धारा 3(3) के अंतर्गत कुल 189 कागजात जारी किए गए जिनमे 91 द्विभाषी 76 हिंदी तथा कुल 22 दस्तावेज केवल अंग्रेजी में जारी किए गए.

अध्यक्ष महोदय ने 22 दस्तावेजों को केवल अंग्रेजी में जारी किए जाने पर अत्यधिक नाराजगी दिखाई तथा सदस्य सचिव से दस्तावेजों की जानकारी मांगी. सदस्य सचिव ने बताया कि उक्त दस्तावेज वित्त एंव लेखा शाखा द्वारा मुख्यालय को भेजी गयी विभिन्न प्रशासनिक रिपोर्ट है तथा मुख्यालय द्वारा भी इस पर आपत्ति दर्शायी जा चुकी है जिसके संबंध में शाखाधिकारी(वित्त एंव लेखा शाखा) को निर्देश दे दिए गए है कि उक्त दस्तावेज हिंदी में भी जारी किए जाएं तथा भविष्य में सभी रिपोर्ट केवल द्विभाषी रूप में ही भेजी जाए.

साथ ही अध्यक्ष महदोय के संज्ञान में यह भी लाया गया कि वित्त एंव लेखा शाखा द्वारा संबंधित रिपोर्ट का प्रारूप भी अनुवाद हेतु राजभाषा शाखा को उपलब्ध नहीं कराया गया है.

अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए कि धारा 3 (3) का अनुपालन अधिदेशात्मक है इसलिए इस धारा के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेज अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में जारी किए जाए और यदि समयाभाव अथवा किसी अन्य कारण से द्विभाषी रूप से जारी किया जाना संभव नहीं हो, वहां केवल हिंदी में ही जारी किया जाए, परन्तु किसी भी अवस्था में कोई दस्तावेज केवल अंग्रेजी में ही जारी ना किया जाए। उन्होंने यह भी बताया कि संसदीय राजभाषा समिति तथा मुख्यालय द्वारा इसके अनुपालन पर विशेष जोर दिया जाता है. साथ ही वित्त एंव लेखा शाखा द्वारा अनुवाद हेतु रिपर्टों का प्रारूप अविलंब राजभाषा शाखा को उपलब्ध कराने तथा भविष्य में सभी रिपोर्टों को द्विभाषी अथवा हिंदी में प्रेषण हेतु निर्देश दिए.

सभी सदस्यों ने निर्देशानुसार कारर्वाई का आश्वासन दिया।

4. राजभाषा नियम के नियम-5 की अनुपालना पर चर्चा।

सदस्य सचिव ने बताया कि गत तिमाही के दौरान हिन्दी में कुल 914 पत्र प्राप्त हुए जिनमें से 357 का जवाब हिंदी में तथा 02 पत्रों का जवाब अंग्रेजी में दिया गया. अन्य पत्रों का जवाब दिया जाना अपेक्षित नहीं था. सदस्य सचिव ने बताया कि उक्त 02 हिंदी पत्रों का अंग्रेजी में जवाब विधि शाखा द्वारा दिया गया है तथा शाखाधिकारी(विधि) को निर्देश दे दिए गए है कि उक्त दोनों पत्रों का जवाब हिंदी में भी देना सुनिश्चित करें.

अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों को नियम-5 की अनुपालना के निर्देश दिए.

5 शाखाओं/ शाखा कार्यालयों में हिन्दी कार्य की स्थिति पर चर्चा।

सदस्य सचिव ने क्षेत्रीय कार्यालय की शाखाओं तथा शाखा कार्यालयों में हो रही हिंदी कार्य की प्रगति के संबंध में अवगत कराया.सदस्य सचिव ने बताया कि शाखाओं से प्राप्त मासिक रिपोर्टों की समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रीय कार्यालय की समन्वय,बीमा शाखा, लोक-शिकायत तथा शाखा कार्यालय-देहरादून और सेलाकुई में अधिकतम कार्य हिन्दी में हो रहा है जबकि अन्य शाखाओं / शाखा कार्यालयों में हिन्दी कार्य में सुधार की आवश्यकता है।

सदस्य सचिव ने अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया कि क्षेत्रीय कार्यालय की रोकड़, हितलाभ, समन्वय एंव लोक

शिकायत शाखा राजभाषा नियम के नियम 8(4) के अंतर्गत अधिसूचित है तथा उक्त शाखाओं में तैनात सभी प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों द्वारा शत्त–प्रतिशत कार्य हिंदी में किया जाना अनिवार्य है. परन्तु जून माह से हितलाभ शाखा से रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है साथ ही शाखा कार्यालय हरिद्वार से भी अभी तक जून–15 की तिमाही रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है जिस कारण उक्त शाखा/ कार्यालय में हो रहे हिंदी कार्य की समीक्षा संभव नहीं है. इस पर अध्यक्ष महोदय ने शाखाधिकारी/ कार्यालय अधीक्षक(हितलाभ) को रिपोर्ट नियमित रूप से समयानुसार भेजने के निर्देश दिए. साथ ही सदस्य सचिव को निर्देशित किया कि हरिद्वार से रिपोर्ट मंगाने के लिए अर्धशासकीय पत्र लिखा जाए.

शाखाधिकारी/ कार्यालय अधीक्षक(हितलाभ) एंव सदस्य सचिव ने आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया.

6. गोवा में आयोजित अखिल भातीय राजभाषा सम्मेलन में हुई चर्चा पर चर्चा.

सदस्य सचिव ने दिनांक:20–21.08.2015 को गोवा में आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन जिसमे उन्होंने स्वयं कार्यालय का प्रतिनिधित्व किया था में हुई चर्चा तथा मुख्यालय से प्राप्त कार्यवृत के मुख्य बिन्दुंओं से सभी उपस्थितों को अवगत कराया तथा मुख्यालय के निर्देशानुसार कार्रवाई का अनुरोध किया.

अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों को निर्देश दिए कि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास किए जाए.
सभी सदस्यों ने निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास का आश्वाशन दिया.

7. राजभाषा पखवाड़ा एंव हिंदी दिवस समारोह का आयोजन.

सदस्य सचिव ने बताया कि पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार कार्यालय में दिनांक:01.09.2015 से 14.09.2015 तक राजभाषा पखवाड़ा मनाया गया तथा पखवाड़े का समापन करते हुए दिनांक:14.09.2015 को हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया. पखवाड़े के दौरान मुख्यालय के निर्देशानुसार हिंदी वाक्, हिंदी निबंध, हिंदी टिप्पण आलेखन तथा राजभाषा ज्ञान प्रतियोगिताएं आयोजित की गयी. प्रतियोगिता विजेता कर्मचारियों को नकद पुरस्कार एंव प्रशस्ति पत्र भेट किए गए जबकि अन्य सभी प्रतिभागियों को केवल प्रशस्ति पत्र हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर भेट किए गए.

अध्यक्ष महोदय में इस पर अत्यधिक प्रसन्नता प्रकट की.

08. हिंदी गृह पत्रिका गंगोत्री के अंक–06 के प्रकाशन पर चर्चा.

सदस्य सचिव ने बताया कि पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार कार्यालय की हिंदी गृह पत्रिका के अंक–06, वर्ष 2015–16 का सफलतापूर्वक प्रकाशन कर लिया गया है. तथा पत्रिका का विमोचन दिनांक :14.09.2015 को आयोजित हिंदी दिवस समारोह में मुख्य अतिथि महोदय ने अपने कर कमलों से किया. कार्यालय से सभी कर्मचरियों को पत्रिका वितरित की जा चुकी है तथा कार्यालय से बाहर पत्रिका डाक के माधयम से भेजी जा रही है. साथ ही पत्रिका का ई–बुक संस्करण भी कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध किया जा रहा है ताकि अधिकतम पाठकों को उपलब्ध हो सके.

अध्यक्ष महोदय में इस पर अत्यधिक प्रसन्नता जाहिर की तथा लगातार पांचवें वर्ष पत्रिका के प्रकाशन तथा विमोचन हिंदी दिवस के अवसर पर किए जाने पर बधाई दी तथा पत्रिका के प्रकाशन कार्य को निरंतर जारी रखने के लिए शुभकामनाएं दी.

09. वार्षिक कार्यक्रम 2013–14 के अनुसार निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति पर चर्चा ।

सदस्य सचिव ने बताया कि मुख्यालय/ राजभाषा विभाग,भारत सरकार से प्राप्त वार्षिक कार्यक्रम सभी अधिकारियों/ शाखाओं/ शाखा कार्यालयों को दिनांक: 03.04.2015 को परिचालित कर दिया गया है। सदस्य सचिव ने निर्धारित लक्ष्यों की विस्तृत जानकारी दी तथा लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास करने का अनुरोध किया।

अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों को निर्देश दिए कि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास किए जाए.

सभी सदस्यों ने आश्वाशन दिया कि वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु वे सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे.

10. जांच बिन्दुओं पर कार्रवाई के संबंध में चर्चा।

सदस्य सचिव ने बताया कि मुख्यालय के निर्देशानुसार निर्धारित जांच बिन्दुओं की सूची दिनांक: 02.04.2014 को सभी

अधिकारियों/ शाखाओ/ शाखा कार्यालयों में परिचालित कर दी गयी है। सदस्य सचिव ने जांच बिन्दुओं तथा उनके अनुपालन के उत्तरदायित्व के संबंध में अवगत कराया।

अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए कि जांच बिन्दुओं का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाए जिससे हम कार्यलय के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें.

सभी सदस्यों ने नियमानुसार अनुपालन का आश्वाशन दिया।

11. आगामी तिमाही के लिए कार्यक्रम।

सदस्य सचिव ने बताया कि आगामी तिमाही में हिंदी कार्यशाला का आयोजन, राजभाषा निरीक्षण, विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन आदि कार्यों के अलावा राजभाषा नीति के अनुपालन हेतु अनिवार्य कदम उठाए जाएंगे,इसलिए सभी सदस्य आवश्यक्तानुसार अपना सहयोग प्रदान करें।

सदस्य सचिव ने बताया कि वार्षिक कार्यक्रम 2015-16 के अनुसार इस वित्त वर्ष में 25 प्रतिशत शाखा/शाखा कार्यालयों का निरीक्षण किया जाना अपेक्षित है. चालू वित्त वर्ष में 02 शाखाओं का निरीक्षण किया जा चुका है.

अध्यक्ष महोदय ने सदस्य सचिव को आगामी तिमाही में निरीक्षण की सलाह दी जिसे सदस्य सचिव ने स्वीकृत किया.

साथ ही सभी सदस्यों ने अपेक्षित सहयोग एंव कार्रवाई का आश्वाशन दिया.

12. राजभाषा कार्यान्वयन के संबंध में सुझावों पर चर्चा।

इस विषय पर चर्चा के दौरान किसी भी सदस्य से कोई सुझाव प्राप्त नही हुआ। इस पर सदस्य सचिव ने बताया कि वर्तमान में सभी कर्मचारी या तो हिंदी टंकण में प्रशिक्षित है अथवा प्रशिक्षणाधीन. उन्होंने अनुरोध किया कि उक्त कर्मचारियों की सेवाओं का अधिकतम उपयोग हिंदी टंकण कार्य में लिया जाए तथा प्रशिक्षण हेतु शेष सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए नामित किया जाए जिससे सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा सके.

श्रीमती इंद्रा दानू,कार्यालय अधीक्षक ने हिंदी टंकण में सहायता के लिए हिंदी वर्णमाला स्टीकरों की खरीद का सुझाव पुन : दिया जिसका क्रय सामान्य शाखा स्तर पर किया जाना लंबित है.

अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि इस संबंध में अपेक्षित मात्रा पुन: ज्ञात की जाए तथा जिनकों आवश्यकता हो उनकों की-बोर्ड के लिए हिंदी के स्टीकर क्रय की जाए.

सदस्य सचिव ने निर्देशानुसार कार्रवाई का आश्वाशन दिया।

13. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय पर चर्चा।

इस मद पर चर्चा के दौरान हिंदी पुस्तकों एंव पत्रिकाओं के खरीद के संबंध में चर्चा हुई. कई सदस्यों ने अनुरोध किया कि कार्यालय में हिंदी की पत्रिका एंव पठनीयता के अनुसार हिंदी पुस्तकों की खरीद की जाए जिससे कर्मचारियों में पठनीयता बढ़ने के साथ- साथ हिंदी में कार्य करने में भी सहयोग प्राप्त होगा. सदस्यों द्वारा कुछ पत्रिकाओं के नाम भी सुझाए गए.

इस पर सदस्य सचिव ने अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया कि सदस्यों से प्राप्त सुझावों के आधार पर मुख्यालय के निर्देशानुसार 02-03 पत्रिकाओं की खरीद की जा सकती है.साथ ही उन्होंने सभी सदस्यों से यह भी अनुरोध किया कि सभी सदस्य उन कुछ उपयोगी एंव रोचक पुस्तकों की सूची राजभाषा शाखा को भेजें जिनमे से चयन करके पुस्तकों की खरीद की जा सके.

अध्यक्ष महोदय ने सदस्य सचिव को अगली कार्रवाई के आदेश दिए.

साथ ही सदस्य सचिव ने अध्यक्ष महोदय को बताया कि बैठक के आयोजन के संबंध में दिनांक 03.09.2015 को ही परिपत्र जारी किया जा चुका है इसके बावजूद भी कई सदस्य विशेष रूप से राज्य चिकित्सा आयुक्त कार्यालय में तैनात अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होने के बावजूद भी बैठक में नहीं आएं है.

इस पर अध्यक्ष महोदय ने कड़ी प्रतिक्रिया कि तथा निर्देश दिए कि राज्य चिकित्सा आयुक्त कार्यालय से बैठक में अनुपस्थिति का कारण ज्ञात किया जाए तथा संतोषजनक नहीं पाए जाने पर मुख्यालय को सूचित किया जाए.

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।